

## अध्याय IX : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

### उच्च शिक्षा विभाग

#### 9.1 आई.आई.टी. हेतु स्थायी अवसंरचना स्थापित करने में परिहार्य विलम्ब

भारत सरकार ने xiv<sup>वीं</sup> पंचवर्षीय योजना में आठ नई आई.आई.टी. की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य हेतु मंत्रीमण्डल की स्वीकृति जुलाई 2008 में प्रदान की गई थी। तथापि परियोजना की पूर्णता में हुआ पर्याप्त विलम्ब, परियोजना के उद्देश्यों को पूरा न किए जाने का कारण बना।

प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकारी परिषद के अध्यक्ष की सिफारिशों (जून 2006) की अनुपालना में, मा.सं.वि.मं. द्वारा, योजना आयोग को, उनकी सैद्धांतिक स्वीकृति की मांग करते हुए बिहार, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान में तीन नई आई.आई.टी. की स्थापना हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि.) प्रेषित की गई थी। स्वीकृति के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों को नई आई.आई.टी. की स्थापना हेतु लगभग 500-600 एकड़ भूमि प्रदान करने का अनुरोध (दिसम्बर 2006) किया गया था। बाद में, xiv<sup>वीं</sup> पंचवर्षीय योजना (2007-12) ने योजना अवधि के दौरान आठ नई आई.आई.टी. की स्थापना करने का प्रावधान किया। सरकार ने दिसम्बर 2007 में, पहले से स्वीकृत तीन के अतिरिक्त, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पांच और नई आई.आई.टी. की स्थापना का निर्णय लिया। संबंधित राज्य सरकारों को, उद्देश्य हेतु, मुफ्त में भूमि प्रदान करने हेतु अनुरोध (अप्रैल 2008) किया गया। वि.प.रि. के आधार पर, छः वर्षों से इन आठ नई आई.आई.टी. की स्थापना की समग्र लागत ₹6080 करोड़ (₹760 करोड़ प्रति आई.आई.टी.) पर अनुमानित की गई थी। मंत्रीमण्डल ने जुलाई 2008 में इन नए संस्थानों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रीमण्डल की स्वीकृति से पहले, व्यय वित्त समिति ने बिहार, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान में तीन नई आई.आई.टी. की स्थापना

के प्रस्ताव पर विचार करते समय, परियोजना के सामयिक समापन को सुनिश्चित करने हेतु, मंत्रालय में परियोजना मानीटरिंग इकाई की स्थापना की आवश्यकता पर जोर डाला था। 2008-09 से (छ: आई.आई.टी.) तथा 2009-10 (दो आई.आई.टी.) से नई आई.आई.टी. ने अस्थायी परिसर से कार्य प्रारम्भ किया। इन आई.आई.टी. की स्थापना में विभिन्न कार्यों की स्थिति **अनुबंध-VII** में दी गई है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि मार्च 2014 तक सभी परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे थीं। पांच मामलों<sup>1</sup> में, प्रस्तावित आई.आई.टी. हेतु भूमि 2011 तथा 2012 के बीच प्राप्त की जा सकी थी, जो निर्धारित समय सारणी की अनुपालना में पर्याप्त विलम्ब को दर्शाता है। आठ में से तीन परियोजनाओं में परिसर की ईमारत का निर्माण अभी भी प्रारम्भ करना था, जबकि पांच मामलों में किए गए कार्यों की प्रतिशतता केवल 9 से 55 प्रतिशत के बीच थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना की संस्वीकृति से पहले भूमि के सामयिक आवंटन हेतु राज्य सरकारों से कोई वचनबद्धता प्राप्त नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मंत्रालय परियोजना मानीटरिंग इकाई की स्थापना करने में विफल रहा जैसा व्यय वित्त समिति द्वारा निर्देश दिया गया था।

आगे, विलम्ब के परिणामस्वरूप मंत्रालय ने मई 2014 में वास्तविक लागत अनुमानों को ₹6080 करोड़ से ₹15664 तक, जो कि प्रारम्भिक परियोजना लागत से 150 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है, संशोधित करने का प्रस्ताव किया। तथापि, संशोधित लागत अनुमान को अभी भी व्यय विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाना था। इस संशोधित लागत पर विचार करते हुए, मंत्रालय द्वारा अब तक निधियों का निर्गम (मार्च 2014 तक ₹2807.23 करोड़), संशोधित लागत का केवल 18 प्रतिशत होने से, नगण्य प्रकट होता है।

<sup>1</sup> पटना, राजस्थान, गांधी नगर, मण्डी तथा इंदौर

मंत्रालय ने परियोजना की स्थिति प्रस्तुत करते समय बताया (नवम्बर 2013 तथा मई 2014) कि सभी नई आई.आई.टी. कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, उपकरण आदि हेतु पर्याप्त प्रावधान सहित, अस्थायी परिसरों में कार्य कर रहीं थीं। परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में विलम्ब राज्य सरकारों द्वारा भूमि की सुपूर्दगी में विलम्बों, मुख्य योजना तैयार करने में विलम्बों तथा वास्तुकारों की नियुक्ति में विलम्बों को आरोपित थे। उसने यह भी बताया कि पर्यावरणीय स्वीकृति, स्थानीय किसानों द्वारा आन्दोलन आदि जैसे घटकों ने भी विलम्ब में सहयोग दिया। उसने आगे बताया कि, जबकि मंत्रालय स्तर पर किसी मानीटरिंग समिति का गठन नहीं किया गया था फिर भी वह मासिक रिपोर्टों, नियमित बैठकों, वीडियो वार्तायोजनों तथा संस्थानों के दौरों के माध्यम से नई आई.आई.टी. की प्रगति की मानीटरिंग कर रहा था।

तथापि, तथ्य रहता है कि इन आई.आई.टी. की स्थापना में दोनों भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अत्यधिक धीमी रही है। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति को इस तथ्य के प्रकाश में भी देखा जाना चाहिए कि योजना आयोग ने परियोजनाओं के समापन हेतु प्रस्तावित समय सीमा को दो वर्षों तक कम करने की सलाह दी थी। यह सलाह इस समीक्षा पर आधारित थी, कि किराए के परिसरों से आई.आई.टी. का संचालन, इसके मानकों को हलका करने का कारण बनने की सम्भावना थी। योजना आयोग की चिंताओं का निपटान नहीं किया गया था, बल्कि परियोजनाओं ने, प्रक्षापित समय सीमा में पर्याप्त विलम्ब का सामना किया। इसके अतिरिक्त, छठे वर्ष के दौरान अर्थात् 2013-14 के दौरान नई आई.आई.टी. में, विभिन्न विषयों में 6880 छात्रों के प्रक्षापित अंतर्ग्रहण के प्रति, वास्तविक अंतर्ग्रहण केवल 2881 (42 प्रतिशत) था। इसी प्रकार 1888 शिक्षण संकायों के प्रस्तावित अंतर्ग्रहण के प्रति, मार्च 2014 तक वास्तविक संख्या केवल 659 थी अर्थात् 65 प्रतिशत की कमी। असाधारण विलम्ब का परिणाम पर्याप्त लागत वृद्धि में भी हुआ।

मंत्रालय को, यह सुनिश्चित करने हेतु कि परियोजनाओं को आगे और बिना किसी विलम्ब के पूरा किया जाय तथा प्रत्याशित उद्देश्यों को पूरा किया जाय, आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

## केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

### 9.2 अधिक पुस्तकों के प्रकाशन पर अनुत्पादक व्यय

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने, ना बिके प्रकाशनों की प्रवृत्ति का संज्ञान न लेते हुए, शब्दकोशों तथा पुस्तिकाओं, जिनके लेने वाले काफी कम थे, की 1000 प्रतियों का मुद्रण जारी रखा। यह ₹2.22 करोड़ की कीमत के इन प्रकाशनों के संचयन का कारण बना।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (निदेशालय) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिनस्थ कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। निदेशालय हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन एवं प्रचार तथा इसे शिक्षा के एक सक्षम माध्यम के रूप में विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। इस उद्देश्य के क्रम में निदेशालय कुछ प्रकाशन करता है जिसमें मुख्य रूप से शब्दकोष तथा वार्तालाप पुस्तिकाएं (संवाद पुस्तिकाएं) शामिल हैं। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रकाशन का मूल्य 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करने के पश्चात निर्धारित किया जाता है। निदेशालय इन प्रकाशनों की न्यूनतम 1000 प्रतियों का मुद्रण करता है जिसमें से 100 प्रतियों का आमतौर पर मुफ्त संवितरण किया जाता है।

संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने 2001-02 से 2012-13 के दौरान निदेशालय द्वारा प्रकाशित शब्दकोशों तथा संवाद पुस्तिकाओं की बड़ी संख्या के संचयन को उजागर किया। इस अवधि के दौरान निदेशालय द्वारा प्रकाशित 54000 ऐसे प्रकाशनों में से 41000 (76 प्रतिशत) स्टॉक में बिना बिके/असंवितरित पड़े थे। बिना बिके स्टॉक का मूल्य कुल ₹2.22 करोड़ था। विवरण **अनुबंध-VIII** में दिए गए हैं। सार्थक रूप से पिछले दशक से निदेशालय द्वारा उत्पादित प्रत्येक ऐसे प्रकाशन की कुल खरीद लगभग 25 प्रतिशत पर बनी हुई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निदेशालय में मुद्रित किए जाने वाली पुस्तकों की प्रमात्रा के संबंध में कोई नीति नहीं थी। निदेशालय ने उनकी कम खरीद के बावजूद प्रत्येक प्रकाशन की 1000 प्रतियों का मुद्रण करना जारी रखा। इसके अतिरिक्त बिना बिके स्टॉक का उदाहरण वर्षों से स्पष्ट रूप से व्यक्त था फिर भी निदेशालय ने आवश्यकता का वास्तविक निर्धारण करने अथवा मुद्रण प्रमात्रा में कटौती करने हेतु अभी तक कोई उपाय नहीं किया था जो इस प्रकार प्रकाशनों के अधिक उत्पादन तथा परिणामी अधिक व्यय का कारण बना।

निदेशालय ने बताया (जनवरी 2014) कि हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन तथा प्रचार को ध्यान में रखते हुए प्रकाशनों का मूल्य कम रखने हेतु प्रयास किए गए थे जिससे कि पाठक उन्हें आराम से खरीद तथा पढ़ सकें। इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक प्रकाशन की 1000 प्रतियां मुद्रित की गई थी ताकि उत्पादन मूल्य कम रखा जा सके। निदेशालय ने आगे बताया (फरवरी एवं मार्च 2014) कि इसे प्राथमिक रूप से हिन्दी के प्रोत्साहन तथा प्रचार हेतु कार्य करना था। इसलिए, लोगों तक प्रकाशनों की अधिकतम पहुँच हेतु इसने कई अवसरों पर अपने प्रकाशनों का मुफ्त तथा कुछ में छूट मूल्य पर संवितरण किया। उसने यह भी बताया कि 1000 प्रतियों की तुलना में 500 प्रतियों के मुद्रण की लागत में मुश्किल से कोई अंतर था। इसलिए लोगों के उस वर्ग, जिन्हें इन प्रकाशनों की आवश्यकता है, को अधिकतम लाभ हेतु इसने न्यूनतम लागत तथा अधिकतम लाभ के स्लैब के अंतर्गत इतनी प्रतियों के मुद्रण का आदेश देने को प्राथमिकता दी।

तथापि, लेखापरीक्षा निदेशालय के अभिलेखों में यह सलाह देने हेतु कोई प्रमाण नहीं खोज पाई कि इसने यह पता लगाने हेतु कोई उपाय किए थे कि पुस्तकों के मुद्रण के संबंध में मितव्ययी आदेश प्रमात्रा क्या होगी। विभिन्न मुद्रण योग्य प्रमात्राओं के बीच तुलनात्मक लागत विश्लेषण के अभाव में निदेशालय का प्रत्युत्तर बाद का विचार प्रकट होगा। इसके अतिरिक्त, जबकि यदि यह

माना भी जाय कि प्रति पुस्तक लागत, मुद्रित प्रमात्रा के आयात में वृद्धि के साथ कम हो जायेगी फिर भी यह अभी भी ऐसी उच्च उत्पादन दर का तीन गुना अधिक है, हेतु कोई पर्याप्त औचित्य नहीं बनता है। पुस्तकों के संचयन का परिणाम उनके भण्डारण हेतु उच्च रखरखाव लागत में होना संभावित है। पुस्तकों की बिक्री को बढ़ाने हेतु अधिक छुट प्रदान करना युक्तियुक्त उपाय नहीं हो सकता जब तक कि आवश्यक को वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित न किया गया हो तथा ऐसे प्रकाशनों की बिक्री को बढ़ाने हेतु उत्साही प्रचार उपायों द्वारा समर्थित न हो।

तथापि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों हेतु मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

## अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

### 9.3 ब्याज की हानि

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने स्टेट बैंक पटियाला में ₹217 करोड़ का निवेश सावधि जमा में, अन्य बैंक द्वारा दिये जाने वाले मौजूदा दरों के बारे में पता किये बगैर किया था जो ₹3.25 करोड़ की ब्याज की हानि का कारण बना।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 की धारा 16 व्यवस्था करती है कि परिषद् की अपनी निधि होगी और इस निधि से संबंधित सारे धन को, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, जैसा परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उस बैंक में अथवा उसी रूप में निवेश किया जाएगा। सरकारी अनुदान एवं शुल्क की प्राप्ति, परिषद् की आय के मुख्य स्रोत है। इसके पास निवेश-योग्य बहुत बड़ी राशि है, जैसे इसके पास मार्च 2010 एवं मार्च 2011 तक क्रमशः ₹169.94 करोड़ एवं ₹376.54 करोड़ का बैंक शेष था।

परिषद् के निवेश अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि निवेश समिति सितम्बर 2011 में जाकर बनी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि परिषद् ने, 4 मई 2011 को, स्टेट बैंक पटियाला (स्टे.बै.प.) शास्त्री भवन, नई दिल्ली

में ₹217 करोड़<sup>2</sup> का निवेश, 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से 331 दिनों की अवधि के लिए, अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त किये बिना, किया था। लेखापरीक्षा ने उपरोक्त ब्याज दर के समक्ष 14-16 मई 2011 को विभिन्न बैंकों द्वारा दूसरे स्वायत्त निकाय, नामतः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली को दिये गये ब्याज दर की तुलना की, और पाया कि एक ही अवधि और एक ही समय के लिए, प्रस्तावित दरें 8.25 प्रतिशत एवं 9.5 प्रतिशत के मध्य थीं। इस प्रकार परिषद् द्वारा लिये गये निम्नस्तरीय निवेशगत फैसले के कारण, 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर (स्टे.बै.प., नेहरू प्लेस, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित) के संदर्भ में परिकल्पित ₹3.25 करोड़<sup>3</sup> की ब्याज की हानि का कारण बना।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2014) कि स्टे.बै.प. के मुख्यालय ने स्पष्टीकरण दिया था, कि इसने 4 मई 2011 अथवा 5 मई 2011 को अपनी किसी शाखा में 332 दिनों की अवधि हेतु 6.50 प्रतिशत ब्याज दर से अधिक का अनुमोदन नहीं किया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि स्टे.बै.प. ने कम अवधि की जमाओं पर ब्याज की दरों को संशोधित किया था, जो 19 अगस्त 2011 से लागू थी। यदि परिषद् ने बैंक द्वारा दरों के संशोधन के समय धन को समय से पहले निकालकर संशोधित ब्याज दरों पर फिर से निवेश कर दिया होता, तो अर्जित ब्याज ₹12.70 करोड़ होता जहाँ इसने पुराने ब्याज दर से जुड़े रहकर ₹12.98 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त किया था।

मंत्रालय का उत्तर, स्टे.बै.प., नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ने मई 2011 के माह में ही कुछ ही समय बाद<sup>4</sup> 8.25 प्रतिशत ब्याज का उच्चतर दर प्रस्तावित किया था, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए विशेष तिथियों (4 एवं 5 मई 2011)

<sup>2</sup> ₹200 करोड़, ₹10 करोड़ एवं ₹7 करोड़ की तीन जमाओं में

<sup>3</sup> परिषद् ने यदि 8.25 प्रतिशत सरल ब्याज के ब्याज दर पर ₹217 करोड़ का निवेश किया होता तो-उसे ₹16.23 करोड़ के ब्याज की आय होती। वास्तव में अर्जित ₹12.98 करोड़ के ब्याज घटक को घटाने के बाद ₹3.25 करोड़ की हानि हुई थी।

<sup>4</sup> 16 मई 2011

से संबंधित है। इसलिए, समय से पूर्व आहरण का प्रश्न ही नहीं उठता। तथ्य रहते हैं कि परिषद ने विभिन्न बैंकों से प्रतिस्पर्धी दर आमंत्रित नहीं किया था और उच्चतर ब्याज दर पर निवेश करने के अवसर से चूक गया।

### पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

#### 9.4 सा.भ.नि./अ.भ.नि. अंशदाताओं को ब्याज का अधिक भुगतान

पंजाब विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों के उल्लंघन में सा.भ.नि./अ.भ.नि. अंशदाताओं को ब्याज की उच्च दरें अदा की जिसका परिणाम ₹4.49 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय से परामर्श के पश्चात, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सभी स्वायत्त संगठनों को निर्देश दिया (फरवरी 2004) कि सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.)/अंशदान भविष्य निधि (अ.भ.नि.) पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर से अधिक दर पर ब्याज अदा नहीं किया जाना चाहिए, परंतु अधिसूचित दर से कम दर पर ब्याज अदा किया जा सकता है, जो संगठन की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने भी इन निर्देशों को दोहराया (अप्रैल 2004)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजाब विश्वविद्यालय ने सा.भ.नि./अ.भ.नि. संचयनों पर क्रमशः आठ प्रतिशत (अप्रैल 2011-नवम्बर 2011) तथा 8.60 प्रतिशत (दिसम्बर 2011-मार्च 2012) की अधिसूचित ब्याज दर, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, के प्रति, नौ प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया था। इसका परिणाम सा.भ.नि. तथा अ.भ.नि. अंशदाताओं को ₹4.49 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ जैसा नीचे दिया गया है:



(₹ करोड़ में)

	सा.भ.नि.	अं.भ.नि.	कुल
अंशदाताओं को क्रेडिट किया ब्याज	2536.43	1730.83	42.67
सरकारी दरों के अनुसार अंशदाताओं को क्रेडिट किए जाने वाला ब्याज	2269.93	1548.80	38.19
अंशदाओं को क्रेडिट किया अधिक ब्याज	266.50	182.03	4.49

विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर (मार्च 2003) में बताया कि अ.भ.नि./सा.भ.नि. अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है तथा अं.भ.नि./सा.भ.नि. पर ब्याज दर को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत अपने अधिनियमों के अनुसार सा.भ.नि./अं.भ.नि. शेषों के जमाओं पर अर्जित ब्याज के आधार पर अभिषद<sup>5</sup> द्वारा निर्धारित किया जाता है। निधि शेषों से उत्पन्न आय का केवल सा.भ.नि./अं.भ.नि. अंशदाताओं को ब्याज के भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है।

विश्वविद्यालय का उत्तर, 2004 के मंत्रालय/वि.अ.आ. के निर्देशों, जो सभी स्वायत्त निकायों पर ब्याज की दरों के भुगतान पर प्रतिबंध लगाते हैं, के सांमजस्य में नहीं था। इसके अतिरिक्त, चूंकि विश्वविद्यालय सरकार की अनुदानों द्वारा, पर्याप्त रूप से, वित्त पोषित है, इसलिए इसके अधिनियम भारत सरकार के निर्देशों की अवेहलना नहीं कर सकते।

मामला जून 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

<sup>5</sup> अभिषद विश्वविद्यालय का कार्यकारी निकाय है जिसके पास अधिसभा के नियंत्रण के तहत, विश्वविद्यालय के राजस्व, सम्पत्ति तथा सभी प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है।

## राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

### 9.5 मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन पुनर्परिमेयकरण पर बकायों का अनियमित भुगतान

मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में आंध्र प्रदेश राज्य आठवें वेतन संशोधन आयोग के लाभों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन के पुनर्परिमेयकरण का परिणाम ₹2.89 करोड़ के बकायों के अनियमित भुगतान में हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के उद्देश्यों हेतु, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल (संस्थान), (पहले का क्षेत्रीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय, वारंगल) को "विश्वविद्यालय माने जाने" के रूप में घोषित किया (सितम्बर 2002)। केन्द्र सरकार ने संस्थान का पूर्ण प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण संभाला (मई 2003) तथा वित्तीय वर्ष 2003-04 से संस्थान का योजनागत तथा गैर - योजनागत व्यय पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना था। इसके अनुसरण में, 28 जुलाई 2003 को मंत्रालय तथा संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल था कि संस्थान भारत सरकार (भा.स.) द्वारा समय-समय पर जारी मितव्यय अनुदेशों का पालन करने को सहमत है तथा संस्थान मंत्रालय से पूर्व सलाह के बिना ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो भा.स. पर अतिरिक्त वित्तीय भार का कारण बने।

बाद में, मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (रा.प्रौ.सं.) को 1 अप्रैल 2004 से भा.स. के समान वेतनमानों के साथ, संस्थानों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनों के परिमेयकरण हेतु अनुदेश जारी किए (जून 2004) जैसा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (के.सि.से.) (संशोधित वेतन) नियमावली 1997 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।

इसी बीच, 2005 में, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने, जी.ओ.<sup>6</sup> दिनांक 10 अक्टूबर 2005 के माध्यम से 1 जुलाई 2003 से, निर्धारण के राष्ट्रीय लाभ तथा 1 अप्रैल 2005 से वित्तीय लाभ के साथ राज्य विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतनमानों का संशोधन किया। संस्थान ने मंत्रालय को अपने गैर-शिक्षण स्टाफ तक संशोधित वेतनमानों को बढ़ाने हेतु, जैसा अ.प्र. सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, अनुरोध किया (अक्टूबर 2005)। उत्तर में मंत्रालय ने स्पष्ट बताया (जनवरी 2006) कि संस्थान के अनुरोध को स्वीकार करना उचित नहीं था क्योंकि 1-4-2003 को अथवा इसके पश्चात आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों हेतु जारी कोई भी आदेश प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्थान के कर्मचारियों को लागू नहीं है। मंत्रालय ने आगे फिर दोहराया (अप्रैल 2006) कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित वेतनमानों को संस्थान के कर्मचारियों को प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि यह 1.4.2003 से पूर्ण रूप से केन्द्र पोषित संस्थान था।

मंत्रालय की अस्वीकृति पर संस्थान ने परिमेयकरण के संबंध में जून 2004 में मंत्रालय के आदेशों के अनुसार जून/जुलाई 2006 के दौरान 1 अप्रैल 2004 से प्रभावित अपने गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन का परिमेयकरण किया।

मंत्रालय ने सभी रा.प्रौ.सं. को यह भी स्पष्ट किया (अप्रैल 2007) कि रा.प्रौ.सं. के कर्मचारियों की पदोन्नति तथा वेतनमानों के संशोधन से संबंधित मामले को, शासक बोर्ड (शा.बो.) की स्वीकृति के साथ-साथ, भा.स. की विशिष्ट स्वीकृति भी अपेक्षित होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी/फरवरी 2013) कि संस्थान के शासक बोर्ड ने 11 फरवरी 2011 को हुई अपनी 19वीं बैठक में संस्थान के गैर-शिक्षण स्टाफ को 1 जुलाई 2003 से 31 मार्च 2004 तक (अप्रयोगमूलक निर्धारण) आ.प्र. सरकार के संशोधित वेतनमान प्रदान करने तथा इसके पश्चात केन्द्र सरकार

---

<sup>6</sup> जी.ओ. (पी) सं. 225 दिनांक 10 अक्टूबर 2005 (जी.ओ. (पी) सं. 213 दिनांक 27 अगस्त 2005 के साथ पढ़ें)

के.सि.से. (संशोधित वेतन) नियमावली 1997 वेतनमानों के साथ संस्थान के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनर्परिमेयकरण करने का निश्चय किया। शा.बो. के निर्णय को संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया गया था तथा वेतनमानों के पुनर्परिमेयकरण के कारण वेतन में वृद्धि के कारण 1 अप्रैल 2005 से 28 फरवरी 2011 तक की अवधि हेतु 320 गैर-शिक्षण<sup>7</sup> कर्मचारियों को कुल ₹2.89 करोड़ के बकाया (मार्च 2011) अदा किए गये थे। यह जनवरी 2006, अप्रैल 2006 तथा अप्रैल 2007 में जारी मंत्रालय के दोहराये गए निर्देशों के उल्लंघन में था।

संस्थान ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि वेतनमानों का पुनर्परिमेयकरण किया गया था तथा कर्मचारी संघों के प्रदर्शन के पश्चात, बकायों को अदा किया गया था और इसे शा.बो. की स्वीकृति के साथ किया गया था; जिसमें मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

तथ्य यह रहता है कि संस्थान मंत्रालय के विशिष्ट निर्देशों की अनुपालना करने में विफल रहा जो अनियमित भुगतान का कारण बना।

मामला जून 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

## झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

### 9.6 ब्याज की हानि

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने अनुदानों को उस वित्त वर्ष के दौरान प्रयुक्त नहीं किया जिसके लिए ये संस्वीकृत की गयी थीं, एवं अतिरिक्त धन को बचत खाते में रखना जारी रखा।

अतिरिक्त धन का, ब्याज उत्पन्न करने वाले सुरक्षित स्थानों में निवेश करना रोकड़ प्रबंधन का एक प्राथमिक आयाम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.ओ.) ने, सहायता अनुदान जारी करते समय निर्धारित करता है कि

<sup>7</sup> इसके अतिरिक्त एक शिक्षण स्टाफ को भी बकाया अदा किया गया था।

अनुदानों के बचे हुए भाग पर वि.अ.ओ. को 10 प्रतिशत सरल ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा जाँच ने उद्घटित किया (जनवरी 2013) कि झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने 2008-09 से 2011-12 के दौरान वि.अ.आ. से 'सामान्य विकास योजना' के प्रति ₹101.50 करोड़ प्राप्त किया था। विश्वविद्यालय इन वित्त वर्षों के दौरान अनुदानों को पूरी तरह प्रयोग में नहीं ला सका और 31 मार्च 2012 तक ₹24.97 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान इक्कठा कर लिया। हालाँकि अप्रयुक्त धनराशि बचत खाते में पड़ी रही, जिस पर प्रति वर्ष केवल चार प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ और विश्वविद्यालय ने सावधि जमा प्राप्तियों में इस अतिरिक्त निधि का निवेश नहीं किया था, जिस पर लगभग 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर पर अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता था। विश्वविद्यालय के पास लेखापरीक्षा द्वारा अंतराल को इंगित किए जाने तक, कोई अपनी निवेश नीति भी नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि उन्होंने बचत बैंक खाते को अधिक ब्याज दर के साथ, रोजमर्रा के लेन-देन के लिए ₹1 करोड़ का न्यूनतम शेष रखते हुए अस्थायी जमा योजना में परिवर्तित करने का भारतीय स्टेट बैंक, रांची से अनुरोध (मई 2013) किया है।

तथापि, यह देखा गया था (मई 2014) कि धनराशि अभी भी बचत खातों में पड़ी हुई थी। इस राशि को दो वर्षों तक अस्थायी जमा में परिवर्तित नहीं करने के कारण ₹2.497 करोड़, (अप्रैल 2012 से मार्च 2014 तक 5 प्रतिशत की दर से दो वर्ष हेतु ब्याज (अस्थायी जमा पर 9 प्रतिशत से, बचत बैंक पर 4 प्रतिशत घटा कर) के ब्याज की हानि हुई।

मामले के बारे में जून 2014 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

## मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

### 9.7 ₹1.00 करोड़ की ब्याज हानि

**मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की चालू खाते में अतिरिक्त धनराशि रखे रहने के कारण ₹1.00 करोड़ की ब्याज हानि हुई।**

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (रा.प्रौ.स.अधिनियम) की धारा 21 (2) निर्धारित करती है कि संस्थान की निधिमें जमा की गयी सारी धनराशि को उन बैंकों में जमा करना होगा, अथवा उस प्रकार निवेश करना होगा जैसे संस्थान, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, निर्धारित करेगा।

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (संस्थान) ने 07 सितम्बर 2011 को अपनी अतिरिक्त प्राप्तियों में से, चालू खाते में ₹4.08 करोड़ का शेष छोड़ते हुए 20 सावधि जमाओं (सा.ज.) में ₹10.00 करोड़ की राशि का निवेश किया था। इन सावधि जमाओं को 29 अक्टूबर 2012 को ₹11.07 करोड़ की परिपक्वता राशि पर भुनाया गया था और चालू खाते में जमा किया गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि भविष्य में त्वरित उपयोग हेतु चालू खाते में ₹4.08 करोड़ की राशि मौजूदा होने और किसी कथित लम्बित देयता के नहीं होने के बावजूद संस्थान ने ₹11.07 करोड़ रखा। परिणामस्वरूप, 29 अक्टूबर 2012 से 31 अक्टूबर 2013 की अवधि के दौरान चालू खाते में ₹11.07 करोड़ को फिर से रखना न्यायसंगत नहीं था, क्योंकि संस्थान लगभग ₹1.00 करोड़ के ब्याज जनित आय से वंचित रहा था।

उत्तर में संस्थान ने बताया (जनवरी 2014) कि उपलब्ध धन ब्याज अर्जित करने के लिए नहीं बल्कि उपयोग में लाने के लिए था और चालू वर्ष के दौरान धन उपयोग प्रक्रियाधीन था।

इस तथ्य के विचार से उत्तर स्वीकार्य नहीं था कि मर्यादा की मांग थी कि अतिरिक्त धन को लाभजनक रूप से निवेशित किया जाना चाहिए था।

संस्थान के पास अतिरिक्त धनराशि के निवेश के लिए कोई नीति/दिशानिर्देश नहीं थे।

मामले को मार्च 2014 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित (मई 2014) है।

**भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता**

### 9.8 छुट्टी यात्रा रियायतों की कपटपूर्ण प्रतिपूर्ति

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता (भा.प्र.सं.को.) के कर्मचारियों ने अपनी छु.या.रि. दावे के प्रति बढ़े हुए हवाई किराये का दावा करने के लिए गलत हवाई टिकट प्रस्तुत किया था, जिसे भा.प्र.सं.को. द्वारा उनकी सत्यता की जांच किए बिना प्रतिपूर्ति कर दिया गया था, जो ₹7.54 लाख के अनियमित अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.), 2005 का नियम 21 निर्धारित करता है कि लोक निधि से व्यय करने वाले अथवा व्यय को प्राधिकृत करने वाला प्रत्येक अधिकारी, वित्तीय औचित्य के उच्च मानक द्वारा निर्देशित होगा और वित्तीय व्यवस्था एवं कठोर मितव्ययिता को लागू करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था करता है कि व्यय को पूरा करने के लिए प्रदत्त भत्तों की राशि इस प्रकार से नियंत्रित होनी चाहिए कि भत्ते प्राप्तकर्ता के लिए पूरी तरह आय का एक स्रोत न बने।

कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन, भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिनांक 18 जून 2010 को जारी कार्यालय ज्ञापन (का.ज्ञा.) के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारी, गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत (छु.या.रि.) को रूपांतरित कराकर जम्मू व कश्मीर (ज.व.क.) जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भा.स. ने

कर्मचारियों को प्राइवेट एयरलाइंस की सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की (दिनांक 05 अगस्त 2010, 25 अगस्त 2011 एवं 15 जून 2012 के का.जा.)। परंतु यह निर्धारित किया कि टिकटे या तो सीधे एयरलाइंस से खरीदी गई हैं या केवल प्राधिकृत एजेंटों अर्थात् मैसर्स बलमेर लॉरी एण्ड कं., मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूर्स लिमिटेड एवं भारतीय रेलवे कैंटरिंग एवं पर्यटन निगम से।

35 कर्मचारियों के छु.या.रि. बिलों की नमूना जांच (सितम्बर 2013) से प्रकट हुआ कि अपने आश्रितों के साथ लाभार्थियों ने नई दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के मध्य गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत के बदले अक्टूबर 2011 से नवम्बर 2012 के मध्य एयर इंडिया, एवं जेट एयरवेज के द्वारा हवाई यात्राएं की थीं। अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा से निम्नलिखित विसंगतियां प्रकट हुईं:-

**क. एयर इंडिया:** नौ कर्मचारियों और उनके आश्रितों सहित 28 व्यक्तियों ने अक्टूबर 2011 एवं नवम्बर 2012 के मध्य, एयर इंडिया से यात्रा की थी। जिसके लिए ₹3.90 लाख का दावा किया गया था और उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता (भा.प्र.सं.को.) द्वारा उसका भुगतान किया गया था। एयर इंडिया के अभिलेखों के साथ पुनः परीक्षण करने पर प्रकट हुआ कि प्रस्तुत किये गये हवाई टिकट, एयर इंडिया द्वारा जारी किये गये टिकटों की संगति में नहीं थे और कर्मचारियों द्वारा दावित किराये, एयर इंडिया को वास्तव में अदा की गयी राशि से अधिक थे। कर्मचारियों द्वारा दावित पूरी राशि की प्रतिपूर्ति भा.प्र.सं.को. द्वारा कर दी गयी थी, जो ₹1.80 लाख के अनियमित अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ (अनु.IX)।

**ख. इंडिगो:** 19 कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों सहित 62 व्यक्तियों ने अक्टूबर 2011 एवं जून 2012 के मध्य इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा की जिसके लिए ₹8.82 लाख की राशि का दावा किया गया था और भा.प्र.सं.को. द्वारा उसका भुगतान किया गया था। अन्योन्य परीक्षण में प्रकट हुआ कि कर्मचारियों ने एक साथ बहुत सी टिकटें खरीदी थीं। हालाँकि, महंगे दावे



अलग-अलग टिकटों के द्वारा किये गये थे, जैसे, 'इंडिगो' एयरलाइंस द्वारा जारी किये गये हैं। यह फिर ₹5.00 लाख के अनियमित अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ (अनुबंध-X)।

ग. **जेट एयरवेज:** अप्रैल-जून 2012 में जेट एयरवेज से यात्रा करने वाले सात कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों सहित 22 व्यक्तियों से संबंधित ₹2.87 लाख राशि के किराये की प्रतिपूर्ति भा.प्र.सं.को. द्वारा की गयी थी। हालाँकि जेट एयरवेज के प्राधिकारियों के साथ किए गए परीक्षण से प्रकट हुआ कि भा.प्र.सा.को. द्वारा ₹0.74 लाख के अनियमित अतिरिक्त भुगतान की प्रतिपूर्ति की गयी थी (अनुबंध-XI)।

इस प्रकार, भा.प्र.सं.को. के 35 कर्मचारियों ने मंहगे हवाई किराये का दावा करने के लिए, गलत हवाई टिकट प्रस्तुत किये थे और उन्हें भा.प्र.सं.को. द्वारा उनकी सत्यता की जाँच, जैसा कि उपरोक्त सा.वि.नि. में निर्धारित है, किए बिना प्रतिपूर्ति कर दी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹7.54 लाख का अनियमित अतिरिक्त भुगतान हुआ।

भा.प्र.सं.को. ने उत्तर दिया (जून 2014) कि मामले की जाँच करने के लिए एक तथ्य परीक्षण समिति का गठन किया गया था तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी एवं ट्रेवल एजेंट के खिलाफ जाँच करने के लिए एक जाँच समिति का गठन किया जाना है।

मामला, दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।